

प्रेषक:

अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,  
औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग,  
हरियाणा ।

सेवा में,

निदेशक,  
औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग,  
हरियाणा, चण्डीगढ़ ।


यादी क्रमांक टी-2/एनसीवीटी /मिडिंग/वेतन नियतन अनुबन्ध आधार/2016-17/ 4170  
दिनांक 15/7/16

Subject: Regarding 5% enhancement in the remuneration of the Instructors working on contract basis as per DGE&T Norms.

उपरोक्त विषय आपके नोट दिनांक 09.06.2016 के संदर्भ में ।

औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग हरियाणा के अधीन चल रहे राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में अनुबन्ध आधार पर कार्यरत अनुदेशकों का मानदेय 14000/- रुपये प्रतिमास से बढ़ाकर 14700/- रुपये प्रतिमास किया जाता है तथा बढ़ा हुआ मानदेय दिनांक 11.07.2016 वित्त विभाग द्वारा प्रदान की गई सहमति की तिथि से लागू होगा, जो कि वित्त वर्ष 2016-17 के स्वीकृत बजट से ही वहन किया जाएगा ।

यह स्वीकृति वित्त विभाग द्वारा उनके अशा: क्रमांक 1/17/2012-4 एफ.डी.गा/18787 दिनांक 11.07.2016 द्वारा प्रदान की गई सहमति के आधार पर जारी की जाती है ।

  
अधीक्षक (औद्योगिक प्रशिक्षण )  
कृते अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार  
औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग ।  
PS


निदेशालय, औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, हरियाणा, चण्डीगढ़

पू0 क्रमांक टीपी/4/अनुबन्ध अनुदेशक संघ/मांग योजना/ 4463

दिनांक 21/7/16

उपरोक्त की एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाती है :-

1. महालेखाकार, हरियाणा, प्लॉट न0 4-5 सेक्टर 33-बी, चण्डीगढ़ ।
2. अधीक्षक (एफ.डी.-गा) वित्त विभाग को उनके अशा: क्रमांक 1/17/2012-4 एफ.डी.गा/18787 दिनांक 11.07.2016 के संदर्भ में ।
3. सभी अधिकारी मुख्यालय पर (सिवाय निदेशक महोदय)
4. सभी उप-कार्यालय हरियाणा राज्य ।
5. सहायक निदेशक प्रशिक्षण-1 से अनुरोध है कि जारी पत्र को विभागीय वेबसाईट पर डालने का कष्ट करें
6. निजी सहायक/निदेशक महोदय ।

  
सहायक निदेशक (प्रशासन-3)  
कृते: निदेशक, औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, हरियाणा ।